एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 3421/2006
सीताराम बनाम हरिनारायण व अन्य
16.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

डा. पी.सी.जैन, अधिवक्ता याची की ओर से।
श्री बी.एस.छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।
श्री आर.आर.शर्मा, अधिवक्ता अयाची सं.1 की ओर से।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने जिला न्यायाधीश, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.3.2005 को इस आधार पर चुनौती दी है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 43 के परन्तुक में दिये गये प्रावधानों के अनुसार यघपि जिला न्यायाधीश चुनाव याचिका को सुनवाई व निस्तारण हेतु सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) दौसा को अन्तरित कर सकते थे, परन्तु ऐसा करने के लिये उन्हें अपने आदेश में कारणों का उल्लेख करना आवश्यक था। आक्षेपित आदेश दिनांक 3.3.2005 को पारित किया गया था, किन्तु रिट याचिका उससे एक वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात दिनांक 25.4.2006 को पेश की गयी है। तत्पश्चात भी एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों का विरोध करते हुए अयाची के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.आर.शर्मा ने कथन किया कि अब याचिका में कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है और प्रकरण अंतिम निस्तारण के स्तर पर है।

प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में अब जबकि रिट याचिका अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत की गयी है, मैं इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूं।

अत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति